न्यायालय श्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 194 / 2019

प्रार्थीः— जालमसिंह पुत्र उदेसिंह उम्र वर्ष, जाति राजपूत निवासी पण्डितजी की ढाणी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. भंवरकंवर पत्नी उगमसिंह
2. रामसिंह पुत्र हीरसिंह
3. श्रवणकंवर पत्नी देवीसिंह
   जाति राजपूत निवासी पण्डितजी की ढाणी,
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
4. तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित —

प्रार्थी — **अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा।**

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एक पक्षीय।

अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांकः— 17/12/19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया किः— प्रार्थी व अन्य खातेदारान की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा ग्राम पण्डितजी की ढाणी में आई हुई है। उक्त भूमि में प्रार्थी व अन्य खातेदारान का शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पूर्वी दिशा में अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 18[illegible] 04 बीघा 04 बिस्वा स्थित है। प्रार्थी की भूमि में [illegible] जिस वजह से प्रार्थी को अनावश्यक रूप से [illegible] प्रार्थी को अपने खेत की सीमा पर पत्थर रोपकर तारबन्दी नहीं कर[illegible] रहे है जिससे अप्रार्थी[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:21:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

दिशा की तरफ से आवारा पशु इत्यादि आकर प्रार्थी के खेत की फसल को नुकसान पहुंचाते है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की नियत से अपनी ओर की सीमा पर कणा माठ आदि की सीमा को तोड़कर कब्जा कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने की नियत से दखलंदाजी करनी शुरू की तो प्रार्थी ने तहसीलदार ओसियां के समक्ष पैमाईश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान चाही तो तहसीलदार साहब ने क्रमांक भू.अ.2019/965 दिनांक 21.05.2019 को हल्का पटवारी बैठवासियां को जांच रिपोर्ट हेतु आदेश दिया। जिसकी पालना में हल्का पटवारी बैठवासियां ने सम्बन्धित खसरे की मौके की वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट हेतु मौके पर पहुंचे तो अप्रार्थीगण ने मौका जांच रिपोर्ट नहीं बनाने दी तथा मौके पर अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर दिया तथा लड़ाई झगड़ा करने हेतु उतारू हो गये। जिसकी वजह से सीमाज्ञान के आदेश की पालना नहीं हो सकी। अप्राथीगण को प्रार्थी की भूमि में दखलंदाजी नहीं करने बाबत कहा तो वो लोग नहीं माने। प्रार्थी ने गांव के मौजीज व्यक्तियों व उनके रिश्तेदारों को इकट्ठा कर समझाने की कोशिश की लेकिन अप्रार्थीगण किसी भी सूरत में नहीं माने और एलानिया कहा कि हम तो आपकी भूमि पर काबिज होंगे। आपको जो करना है वो कर लो। हम इस भूमि का सीमाज्ञान नहीं होने देंगे। इस प्रकार प्रार्थी की पूर्वी सीमा को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच भयंकर विवाद पैदा हो गया है। जिसका निस्तारण केवल जरिये पत्थरगढी आदेश ही हो सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा ग्राम पण्डितजी की ढाणी तहसील ओसियां का सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमाया जावें व आदेश की पालना अप्रार्थी संख्या 4 से करवाई जावे साथ ही पुलिस थाना ओसियां के एस.एच.ओ. को पुलिस इमदाद की व्यवस्था दिलवाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:21:21 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना प[illegible]टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कि[illegible]आर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

Scanned by CamScanner

यह है कि बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 182 ग्राम पण्डितजी की ढाणी का रेकर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य की सीमा को लेकर मौके पर भयंकर विवाद है इसलिए प्रार्थी पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की भूमि ग्राम पण्डितजी की ढाणी तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 182 रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा ग्राम पण्डितजी की ढाणी का सीमांकन करते हुए पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी कार्य करते वक्त आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद ली जावें। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 17/12/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:21:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner